

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

अपील नामा० संख्या 28/16

सन् 2016

आरसीएमएस संख्या 2016/00298

बउनवानी:-

1. रामस्वरूप पुत्र रामनाथ धोबी निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा जिला, सवाईमाधोपुर
बनाम
1. रमेश पुत्र रामनाथ धोबी निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा जिला, सवाईमाधोपुर
2. दिनेश पुत्र रामनाथ धोबी निवासी ग्राम चौथ का बरवाडा जिला, सवाईमाधोपुर
3. सरकार जरिये तहसीलदार चौथ का बरवाडा

(अपील विरुद्ध आदेश तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 1644 निर्णय दिनांक 13.2.1985 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

उपस्थित:- 1. श्री अब्दुल बहाव
2. श्री महावरी चौधरी

वकील अपीलान्ट
पैरोकार राजस्व

-: निर्णय :-

दिनांक 13.2.2019

अपील अपीलान्ट ने तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल, नामा० संख्या 1644 निर्णय दिनांक 13.2.1985 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तहसील चौथ का बरवाडा के विरुद्ध इस कथन के साथ प्रस्तुत की गयी है कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि विरुद्ध है जिसको खारिज फरमाया जावे।

अपील प्रस्तुत होने पर न्यायालय हाजा मे दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो. की तलबी जरिये नोटिस की गयी एवं अदालत मातहत से सम्बन्धित मूल अभिलेख अवलोकन हेतु तलब किया गया। रेस्पो. संख्या 1 लगायत 2 बावजूद तामील नोटिस न्यायालय में उपस्थित नही होने के कारण उनके विरुद्ध दिनांक 30.4.2018 को एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। तत्पश्चात बहस वकील उभयपक्ष सुनी गयी।

वकील अपीलान्ट ने दौराने बहस कथन किया कि अदालत मातहत द्वारा पारित आदेश जैर अपील खिलाफ कानून एवं तथ्यों के विपरीत होने के कारण मन्सूख फरमाये जाने योग्य है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट व रेस्पो० संख्या 1 लगायत 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है। अपीलान्ट के पिता रामनाथ पुत्र अमरा धोबी के विधिक वारिसो में तीन पुत्र क्रमशः रामस्वरूप, रमेश, दिनेश थे। अपीलान्ट व रेस्पो. संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ की खातेदारी व कब्जे काश की भूमि आराजी ख०न० 1934/3091 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा ग्राम चौथ का बरवाडा में स्थित है। और साबिक ख०न० के सेटलमेंट के बाद के नवीन खन० 266 रकबा 0.444 है० है। यह तर्क भी दिया कि अपीलान्ट व रेस्पो० संख्या 1 व 2 के पिता रामनाथ का जब देहान्त हुआ तब उक्त विवादित नामा० में पटवारी हल्का ने अपीलान्ट का नाम गलती से ग्यारसा अंकित कर दिया जबकि अपीलान्ट का सही नाम रामस्वरूप है। अपने कथन के समर्थन में सरकारी सेवा से सेवानिवृति का पी.पी.ओ. तथा राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड व जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 वाके ग्राम नयागांव खाता संख्या 49 की प्रति जिसमे रामस्वरूप, रमेश, दिनेश पि.रामनाथ अंकित है, की प्रति प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त नामा० संख्या 1644 दिनांक 13.2.1985 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा तस्दीक करने से पूर्व अपीलान्ट को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कोई नोटिस नही दिया गया ओर ना ही सुनवायी का समुचित अवसर दिया गया है। इस प्रकार उक्त नामा० में गलत रूप से अपीलान्ट का नाम रामस्वरूप के स्थान पर ग्यारसा अंकित कर दिया गया है। अतः आदेश जैर अपील निरस्त कर पुनः नये सिरे से नामा० भरकर तस्दीक करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को आदेश


जारी करे जिसमें प्रार्थी का नाम ग्यारसा के बजाय रामस्वरूप पुत्र रामनाथ अंकित किया जावे। यह कथन भी किया कि अपीलान्ट को उक्त नामा० संख्या 1644 दिनांक 13.2.1985 की पूर्व में कोई जानकारी नहीं थी किन्तु जब अपीलान्ट व रेस्पों. संख्या 1 व 2 के मध्य आपस में जमीनो का बटवारा कराने की आवश्यकता हुई और दिनांक 27.7.2016 को अपीलान्ट हल्का पटवारी के पास खाते की नकल लेने गया तो हल्का पटवारी के बताये जाने पर प्राप्त होने पर विवादित नामा० की नकल हेतु दिनांक 27.7.2016 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिनांक 3.8.2016 को नकल प्राप्त होने पर अन्दर मयाद मय प्रार्थना पत्र दफा 5 के पेश गयी है। अतः प्रस्तुत अपील को अन्दर मयाद मानते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार कर आदेश जैर अपील निरस्त करने बाबत निवेदन किया गया।

पैरोकार राजस्व द्वारा दौराने बहस कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 1644 दिनांक 13.2.1985 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा बाद जॉच तस्दीक किया जाना प्रतीत नहीं होता है क्योंकि उक्त नामा० में अपीलान्ट का नाम रामस्वरूप के स्थान पर ग्यारसा अंकित किया गया है। जिसको न्यायहित में दुरुस्त किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट का नाम ग्यारसा की बजाय रामस्वरूप पुत्र रामनाथ किये जाने बाबत पैरोकार राजस्व द्वारा अपनी सहमति प्रकट की गयी।

वकील उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सुनने के पश्चात एवं सम्बन्धित पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन व मनन करने के उपरान्त मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्धीन नामा० संख्या 1644 दिनांक 13.2.1985 दर्ज फैसल करते समय मृतक रामनाथ के विधिक वारिसान के सही नाम की पुष्टि नहीं की गयी है। क्योंकि अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज यथा सरकारी सेवा से सेवानिवृति का पी. पी.ओ. तथा राशन कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र, आधार कार्ड व जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 वाके ग्राम नयागांव खाता संख्या 49 के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अपीलान्ट का सही नाम रामस्वरूप पुत्र रामनाथ धोबी है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त नामा० ग्यारसा पुत्र रामनाथ के नाम से दर्ज फैसल कर अहम भूल की गयी है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील विधि सम्मत होने की श्रेणी में नहीं आता है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील अपास्त किया जाना न्यायोचित समझता हूँ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार चौथ का बरवाडा द्वारा दर्ज फैसल नामा० संख्या 1644 दिनांक 13.2.1985 वाके ग्राम चौथ का बरवाडा को अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण तहसीलदार चौथ का बरवाडा को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित (Remand) किया जाता है कि मृतक रामनाथ पुत्र अमरा धोबी निवासी चौथ का बरवाडा के विधिक वारिसान के सही नाम की जानकारी कर अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य/दस्तावेजात का अवलोकन कर पुनः नियमानुसार नामा० भरकर दर्ज फैसल करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे।

निर्णय आज दिनांक 13.2.2019 को लिखवाया जाकर सुनाया गया।


(डॉ०एस०पी०सिंह)
जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

